

प्राथमिक शिक्षा के विकास में संचालित विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का विश्लेषण

Manjeeta Sharma

Assistant Professor

IIMT University , Meerut

सार

भारत में प्राथमिक शिक्षा का विकास विशेष रूप से 1947 के बाद हुआ है। स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्रीय तथा प्रादेशिक सरकारों ने प्राथमिक शिक्षा के लिये अनेक नीतियाँ अपनायी। जिससे कि “प्राथमिक शिक्षा” का प्रचार एवं प्रसार सारे देश में किया जा सके। प्राथमिक शिक्षा समाज की प्रगति का मुख्य आधार है यही कारण है कि आधुनिक युग में प्राथमिक शिक्षा का स्तर समाज की समृद्धि का सूचक माना जाता है। शिक्षा का स्तर ऊँचा करने के लिये शिक्षकों पाठ्यक्रमों, शिक्षण विधि, पाठ्य पुस्तक, विद्यालय भवन आदि में सुधार के लिए प्रयासरत हैं। जो समाज अथवा राष्ट्र जितना जागरूक होगा उतनी ही सीमा तक प्राथमिक शिक्षा पर ध्यान देगा वास्तव में जन चेतना के लिये प्राथमिक शिक्षा की अनिवार्यता है। शिक्षा वह गतिशील एवं सामाजिक प्रक्रिया है जो मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों का सर्वांगीण विकास करने में सहायता देती है जिससे वह अपने समाज, राष्ट्र, विश्व और सम्पूर्ण मानवता के हित में चिन्तन, संकल्प और कार्य कर सके “अरस्तु के शब्दों में “शिक्षा मनुष्य की शक्ति का विशेष रूप से मानसिक शक्ति का विकास करती है जिससे वह परम सत्य, शिव और सुन्दरम् का चिन्तन करने योग्य बन सके” प्राथमिक शिक्षा का विकास सामान्य जन शक्ति के विकास से सम्बद्ध है। प्राथमिक शिक्षा के स्कूलों में 5 वर्ष के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। प्राथमिक शिक्षा बच्चों के शारीरिक, मानसिक, सांस्कृतिक विकास में सहायता प्रदान करती है इसी के साथ बच्चों के चरित्र का विकास करने में भी प्रयास किया जा रहा है।

प्रस्तावना

भारत के संविधान में 14 वर्ष तक के बच्चों के लिये निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। इस कारण स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद से ही प्रारम्भिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण की योजना हमारी राष्ट्रीय नीति की विशेषता रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के साथ ही हमने इस दिशा में जो विशेष प्रयास किये उनमें शिक्षा के व्यापक प्रसार के लिये वर्ष 1950 में भारतीय संविधान में नीति निर्देशिक तत्वों के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई कि राज्य 10 वर्षों के भीतर 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिये निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा। इसका तात्पर्य था कि देश के 6-14 वर्ष के सभी बच्चे वर्ष 1960 तक विद्यालयों में नामांकित हो जायेंगे। यह समय सीमा कालान्तर में बढ़कर 1960 से बढ़कर 1972 तत्पश्चात् 1976 तथा पुनः 1993 कर दी गई। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 8 वषीय अनिवार्य शिक्षा की समयकार्य का विभाजन करके 1990 तक पांचवी कक्षा तक शिक्षा तथा 1995 तक आठवी कक्षा तक की शिक्षा को सर्व भुल्य बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। वर्ष 1992 में इस समय सीमा को पुनः बढ़ाकर वर्ष 2000 तक निश्चित किया गया। प्राथमिक शिक्षा को मिशन के रूप में सर्वप्रथम बनाये जाने पर राष्ट्रीय समिति की

1999 की रिपोर्ट बनी जिसमें प्रारम्भिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने के लिये जिला प्रारम्भिक शिक्षा योजनाओं की तैयारी पर बल देकर समग्र दृष्टिकोण से युक्त मिशन के रूप में प्राथमिक शिक्षा को सर्व सुलभ बनाने का लक्ष्य प्राप्त किया जाना चाहिए। इसने शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाने का समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा को मिशन के रूप में प्राप्त करने के लिये शीघ्र कार्यवाही करने की इच्छा व्यक्त की।

अनेक प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में प्रारम्भिक शिक्षा में संस्थाओं, शिक्षकों और छात्रों को बढ़ाने की दृष्टि से काफी प्रगति की है। देश के प्रा0 स्कूलों में चार गुणा वृद्धि हुई है। अर्थात् वर्ष 1950-57 में 2,31,000 के मुकाबले वर्ष 1998-99 में स्कूलों की संख्या 9,30,000 हो गयी जबकि प्राथमिक शिक्षा के नामांकन में 6 गुणा वृद्धि हुई अर्थात् यह संख्या 1.92 करोड से बढ़कर 11 करोड तक पहुँच गयी है। उच्च प्राथमिक स्तर पर इस अवधि के दौरान नामांकन में 13 गुणा वृद्धि हुई थी जबकि लड़कियों के नामांकन में 32 गुणा की विलक्षण वृद्धि हुई प्राथमिक स्तर तक कुल नामांकन औसत 100 प्रतिशत बढ़ा है स्कूलों तक पहुँचना अब कोई बड़ी बात नहीं है। प्राथमिक स्तर पर देश के ग्रामीण जनसंख्या वाले 94 प्रतिशत स्थानों में एक किलोमीटर के भीतर स्कूलों की व्यवस्था की गई है और उच्च प्राथमिक स्तर पर यह व्यवस्था 84 प्रतिशत की गई है। प्राथमिक शिक्षा के क्षेत्र में देश ने उल्लेखनीय उपलब्धि प्राप्त की लेकिन दुख की बात है कि 6-14 आयु वर्ग के 20 करोड बच्चों में से 5.9 करोड बच्चे स्कूल नहीं की जा रहे हैं इनमें 3.5 करोड लड़कियाँ तथा 2.4 करोड लड़के हैं अभी भी देश में कम से कम एक लाख ऐसी बस्तिया है जहाँ एक किलोमीटर की दूरी के भीतर स्कूल की सुविधा नहीं है इसके साथ ही स्कूलों को अपर्याप्त बुनियादी ढांचा स्कूलों की असंतोषप्रद कार्य प्रणाली को शिक्षकों की अनुपस्थिति की अधिकता शिक्षक रिक्तियों की अधिक संख्या आदि शिक्षा का असंतोषप्रद स्तर तथा अपर्याप्त निधियों जैसे विभिन्न सम्बन्ध कारण भी है।

संक्षेप में, देश को अभी भी प्राथमिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण के व्यापक लक्ष्यों को प्राप्त करना है जिसका तात्पर्य है कि सभी बस्तियों में स्कूली सुविधायें प्रदान करके सत् प्रतिशत नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाये रखना और इस अन्तर को पूरा करने के लिये सरकार ने देश की साक्षरता बढ़ाने में देश में अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाये गये जैसे अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम (1929), ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना (1987), बेसिक शिक्षा परियोजना (1993), जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम (1994), मध्यान्ह भोजन योजना (1995), शिक्षा गारन्टी योजना (1999), अनौपचारिक शिक्षा (2001) जो निम्नलिखित रूप से उल्लेखित किया गया है। प्राथमिक स्तर पर अनौपचारिक शिक्षा से पूर्व प्रौढ शिक्षा, समाज शिक्षा, जन शिक्षा, सामुदायिक शिक्षा, जनता शिक्षा, बेसिक शिक्षा, जीवन पर्यन्त शिक्षा, कार्यात्मक साक्षरता, कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम, श्रमिक शिक्षा, सतत् शिक्षा तथा अनौपचारिक शिक्षा आदि अनेक नामों से ये कार्यक्रम संचालित रहे हैं।

प्रौढ शिक्षा

प्रौढ शिक्षा बहु प्रचलित नाम है। प्रौढ शिक्षा के नाम पर भिन्न-भिन्न काल में एवं भिन्न-भिन्न कार्यक्रम संचालित किये गए जो उस काल में उस स्थान के नागरिकों के शिक्षण एवं प्रशिक्षण के लिये आवश्यक प्रतीत हुए। वस्तुतः यह नाम ब्रिटेन में तथा अंग्रेजी भाषा में प्रचलित था, जहाँ निरक्षरता कोई गम्भीर समस्या नहीं थी। ब्रिटेन में 'वर्कर्स एजुकेशनल एसोसियेशन' तथा विश्वविद्यालयों के 'एवस्ट्रा म्यूरल डिपार्टमेंट्स' द्वारा प्रौढ शिक्षा के विस्तृत पाठ्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न विषयों यथा साहित्य, इतिहास, अर्थशास्त्र का उद्देश्य उस समय की आवश्यकता के अनुसार विभिन्न क्षेत्रों एवं विषयों में व्यक्तियों को शिक्षित एवं प्रशिक्षित करना था।

दूसरी ओर देखे तो भारत अथवा अन्य देशों में, जहाँ निरक्षरता की समस्या गम्भीर थी। प्रौढ शिक्षा का तात्पर्य सामान्यतः साक्षरता से लिया गया। जिसका अर्थ विद्यालय की सामान्य शिक्षा के अभाव की पूर्ति करना था। इसके अन्तर्गत सामान्य पढ़ना-लिखना और साधारण गणित का शिक्षा सम्मिलित किया जाता था। शनैः-शनैः आवश्यकतावश यह अनुभव किया जाने लगा कि प्रौढ शिक्षा को अब साक्षरता तक ही नहीं सीमित रखना चाहिए, अपितु उसमें स्वास्थ्य, सामाजिक ज्ञान, कृषि तकनीकी ज्ञान, नागरिकता, उद्योग, आदि को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। धीरे-धीरे परिस्थिति और आवश्यकता के अनुसार भारत में प्रौढ शिक्षा का क्षेत्र विकसित होता गया और जब 2 अक्टूबर, 1978 को राष्ट्र स्तर पर प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम का शुभारम्भ हुआ तो स्पष्ट रूप से प्रौढ शिक्षा में तत्त्वों- जागरूकता, व्यावहारिकता एवं साक्षरता का समावेश किया गया। प्रौढ शिक्षा की कार्य योजना ने निर्धारित किया कि 15 से 35 वर्ष तक की आयु वर्ग के लगभग 8 करोड़ प्रौढ निरक्षरों को साक्षर बनाया जायेगा।

समाज शिक्षा

समाज शिक्षा का नामकरण करने का श्रेण स्वतन्त्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री स्वर्गीय श्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद को है। सामुदायिक विकास मंत्रालय द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक में 'सोशल एजुकेशन' शीर्षक के अन्तर्गत लिखा गया है कि "समाज शिक्षा की एक ऐसी परिभाषा, जो साक्षरता प्रसार तक ही सीमित हो, बहुत संकुचित परिभाषा है।" स्वर्गीय श्री आजाद के मस्तिष्क में जनता के शिक्षण का एक विस्तृत कार्यक्रम था, जिसका नाम उन्होंने 'सोशल एजुकेशन' अर्थात् समाज शिक्षा दिया था। कार्यक्रम के जो पांच उद्देश्य निर्धारित किये गये, वे हैं - 1. आर्थिक सुधार हेतु शिक्षा; 2. नागरिक शिक्षा; 3. स्वास्थ्य शिक्षा; 4. निरक्षरता उन्मूलन; तथा 5. मनोरंजन एवं सौन्दर्य-बोध शिक्षा। उनका प्रयास था कि इन पांचों उद्देश्यों की पूर्ति शिक्षण के इस कार्यक्रम के अन्तर्गत संतुलित ढंग से होनी चाहिए।

जन शिक्षा

विश्व के सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश चीन में वर्तमानशताब्दी के प्रारम्भिक दशकों में चलाये गये शिक्षा आंदोलन को 'जन शिक्षा' का नाम दिया गया है। इस शिक्षण आंदोलन का उद्देश्य व्यापक जन निरक्षरता का त्वरित उन्मूलन था। इस आंदोलन के प्रणेता डा० जेम्स वन थे, जिन्होंने इसका संचालन विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा एवं स्वैच्छिक जन सहयोग से किया था। डा० वन विद्यार्थियों के अवकाश एवं शिक्षित व्यक्तियों के खाली समय को दृष्टि में रखकर शिक्षण के इस ऐतिहासिक आंदोलन को चलाते थे। इस जनान्दोलन में विद्यार्थियों एवं दूसरे सहयोगी कार्यकर्ताओं की आन्तरिक प्रेरणा, उत्साह एवं सेवा भावना बहुत सराहनीय थी। इस आंदोलन से बहुत उपलब्धि हुई। आज विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्रों में रूस विश्व का एक शक्तिशाली राष्ट्र है, जिसका कारण वहाँ की जनता का शिक्षित होना है। वे अपने देश के विकास में सक्रिय भागीदार बन रहे हैं।

बेसिक शिक्षा

बेसिक शिक्षा का प्रतिपादन स्वयं महात्मा गांधी ने किया था। गांधी जी के अनुसार, बेसिक शिक्षा जीवन की बुनियादी बातों की शिक्षा है। बेसिक शिक्षा का अर्थ जीवन की सामाजिक, आर्थिक, भौतिक एवं नैतिक समस्याओं का समाधान करना है तथा इन समस्याओं के समाधान में ही जीवन का सौन्दर्य भी ढूँढना है। बेसिक शिक्षा में किसी व्यवसाय को शिक्षा का केन्द्र माना गया है। हाथों को किसी उत्पादक काम में लगाये और उस कार्य के माध्यम से पढाये, यह बेसिक शिक्षा की विशेषता है। गांधी जी के अनुसार, शिक्षा

का माध्यम मातृ भाषा होना चाहिए। इससे शिक्षार्थी के आन्तरिक गुणों का सम्यक विकास सम्भव हो सकेगा।

जीवन पर्यन्त शिक्षा

शिक्षा के क्षेत्र में जीवन पर्यन्त शिक्षा वास्तव में नवीन अवधारणा नहीं है। यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र शिक्षा विज्ञान व सांस्कृतिक संगठन) द्वारा प्रतिपादित स्थायी शिक्षा को जीवन पर्यन्त शिक्षा कह सकते हैं। जीवन पर्यन्त शिक्षा को इस प्रकार से समझाया जा सकता है—‘मानव के समग्र व्यक्तित्व के विकास के लिये शिक्षा एक सीखने की रचनात्मक जीवन पर्यन्त प्रक्रिया है। जिसका उद्देश्य सीखने के समस्त अनुभवों को जोड़कर है।’ इसके अन्तर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण, परिवर्तन एवं विकास के साथ आंदोलन करने का प्रशिक्षण, उपयोगी साक्षरता, नागरिकता एवं राजनैतिक उत्तरदायित्व आदि विषय आ जाते हैं। आज सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में एक दशक में जितने त्वरित परिवर्तन हो रहे हैं, उतने पहले एकशताब्दी में नहीं होते थे। भविष्य में ये परिवर्तन और द्रुत गति से हो सकते हैं, जिसके लिये व्यक्ति को स्वतः सदा शिक्षित होते रहने की आवश्यकता होगी।

जीवन पर्यन्त शिक्षा के लिये दो बातें आवश्यक होती हैं— पहली, सीखने वाले के अन्दर जीवन भर सीखते रहने की आन्तरिक जिज्ञासा बनाये रखना। इसके लिये वातावरण भी अनुकूल हो, ताकि एक सामान्य व्यक्ति का स्वतः शिक्षण होता रहे। इस कार्य हेतु पुस्तकालय, फिल्म, टेलीविजन आदि बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। दूसरी, शिक्षण संस्थाओं का विकास होता रहे, ताकि आवश्यक प्रेरणादायक शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किये जाते रहे। स्वामी विवेकानन्द ने इसको ‘मानव- निर्माण शिक्षा’ कहा है। वहीं शिक्षा व्यक्ति के व्यक्तित्व का सर्वांगीण एवं संतुलित विकास कर सकती है, जो जीवन पर्यन्त चलती रहती है।

कार्यात्मक साक्षरता

पहले साक्षरता शिक्षण के अन्तर्गत सामान्य, पढाई, लिखाई एवं गणित का साधारण ज्ञान आता था। ये तीनों योग्यताएं अर्जित कर लेने पर शिक्षार्थी को साक्षर घोषित कर दिया जाता था। किन्तु पढने की सामग्री न उपलब्ध हो पाने के कारण, नव साक्षर कुछ अवधि के पश्चात प्रायः पुनः निरक्षर हो जाते थे। अतः साक्षरता का मापदण्ड और बढ़ाया गया तथा उसके अन्तर्गत और जीवनोपयोगी विषय सम्मिलित किये गये। इस प्रकार व्यावहारिक साक्षरता को यो समझा जा सकता है— किसी व्यक्ति को व्यावहारिक साक्षर उस समय कहा जा सकता है जब वह इतना ज्ञान और कौशल प्राप्त कर लें जो उसे उसके समाज में समस्त ऐसे कार्य सार्थक तथा यथार्थ रूप से सम्पन्न करने योग्य बना दें जिनमें साक्षरता आवश्यक होती है। इस प्रकार जिसने पढने, लिखने तथा गणित की कला में इतनी व्यावहारिक कुशलता प्राप्त कर ली हो कि इन दक्षताओं से स्वतः अपने एवं समाज के कल्याण का सतत् काम ले सके। वह परिभाषा अन्तिम नहीं, वरन् विश्लेषण की प्रक्रिया में है। व्यावहारिक साक्षरता की सीमा तक शिक्षा प्राप्त किया हुआ नव साक्षर उसको कहेंगे, जो शुद्ध उच्चारण के साथ अच्छी तरह समझकर प्राथमिक स्तर तक की पुस्तकें पढ ले, व्याकरण के अनुसार शुद्ध लेखन में भौगोलिक परिस्थितियों से परिचित हो, विश्व एवं देश के सामान्य इतिहास की जानकारी लिखी पुस्तकें समझकर पढने और फिर प्राप्त ज्ञान के अनुसार कार्य करने की क्षमता रखता हो।

कार्यात्मक साक्षरता का जन कार्यक्रम

प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत एक उपागम के रूप में 'कार्यात्मक साक्षरता का जन –कार्यक्रम' पहली मई, 1986 को प्रारम्भ किया गया। इस उपागम के अन्तर्गत विश्वविद्यालयों को निर्देशन दिया गया कि वे अपने छात्रों- छात्राओं से लम्बी अवधि वाले अवकाशों में स्वयं सेवा के आधार पर 'कार्यात्मक साक्षरता का जन-कार्यक्रम' प्रारम्भ करायें। ये छात्र/ छात्रायें राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत पंजीकृत होंगे तथा गैर राष्ट्रीय सेवा योजना के भी छात्र/ छात्रायें हो सकते हैं, जिन्हें निरक्षरता उन्मूलन के कार्य में लगाया जा सकता है।

सतत् शिक्षा

यों तो औपचारिक और अनौपचारिक विधियों से व्यक्ति को शिक्षित किया जाता है परन्तु विभिन्न परिस्थितियों पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक, आदि के कारण व्यक्ति की शिक्षा कम बहुधा टूट जाता है। वह अपने व्यवसाय, उत्तरदायित्व और विभिन्न अन्य सीमाओं में रहते हुए शिक्षा का काम जारी रख सके, यही सतत् शिक्षा का उद्देश्य है। सतत् शिक्षा को कार्यान्वित करते समय मुख्यतः दो बातों पर विशेष ध्यान रखना चाहिये – एक, व्यक्ति जहाँ है, वही उसके जीवन एवं शैक्षिक स्तर के साथ शिक्षा को जोड़ा जाये तथा दो, शिक्षा का विषय एवं पद्धति ऐसी हो कि व्यक्ति की तत्कालिक आवश्यकताओं एवं अभिरूचियों से मेल खा सके तथा उसके जीवन में उपयोगी सिद्ध हो सके।

अनौपचारिक शिक्षा

सर्वेक्षणों एवं प्रतिवेदनों के अनुसार बहुत से बच्चे चाहते हुए भी विभिन्न कारणों एवं विवशताओं की वजह से पाठशाला नहीं जा पाते। इसके कई कारण हो सकते हैं जैसे – घर के पास स्कूल का न होना, कार्यरत बच्चे, घरेलू काम-काज में सहायता जैसे – पानी, ईंधन और चारा लाना या अपने छोटे भई बहनों की देख-भाल, बच्चों द्वारा किसी स्तर पर पाठशाला का परित्याग, लड़कियों का सामाजिक परिस्थितियों के कारण पाठशाला न जाना, इत्यादि। ऐसे बच्चों को प्राथमिक शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के शिक्षा विभाग ने 1979-80 में अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ किया। इस योजना के अंतर्गत स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा अनौपचारिक शिक्षा केंद्र चलाए जाते हैं, सांध्य विद्यालय खोले गए हैं तथा बच्चे अन्य साधनों के द्वारा भी अध्ययन कर रहे हैं। वर्तमान में, यह शिक्षा (एन.एफ.ई.) अनौपचारिक शिक्षा (एस.एस.ए.) के अंतर्गत संचालित शिक्षा गारंटी योजना और वैकल्पिक नवाचारी शिक्षा योजना (ई.जी.एस.एण्ड ए.आई.ई.) के नाम से संचालित है।

आज ज्ञान आधारित समाज के साकार होने की प्रक्रिया तेजी से प्रारंभ हो चुकी है। मनुष्य ने सबसे पहले अक्षर ढूँढे, लिखने की प्रक्रिया का अविष्कार किया, कागज बनाया, शून्य और दशमलव, प्रणाली का अविष्कार किया। परिवर्तन की दिशा में मील का पत्थर रहे। छापाखाना, टेलीग्राफ, रेडियो, टेलीफोन, कम्प्यूटर, उपग्रह और इससे जुड़े कितने ही और अविष्कार किए जो मानव विकास को आज की स्थिति तक ले आए। आज कोई भी सूचना, खोज, नवाचार, या समाचार विश्व के कोने-कोने में उसी क्षण पहुँच रहे हैं, पांच दशक पहले यह केवल कल्पना हो सकती थी। ऐसे समाज में जो व्यक्ति आज तकनीकी की नई प्रणालियों और नए प्रभावों से पूर्ण परिचित हो वह कुछ ही वर्षों में फिर अनपढ़ हो सकता है, यदि वह निरंतर अपने ज्ञान और कौशल का परिमार्जन और नया ज्ञानार्जन नहीं करता रहता है। इस पृष्ठभूमि में शिक्षा का सारा परिदृश्य बदल जाएगा। उसका उद्देश्य, उसका चिंतन और शिक्षा प्रदान तथा ग्रहण करने

की प्रणालियां लगभग नए कलेवर में लोगों के सामने आएंगी। कक्षा का स्वरूप, विद्यार्थियों और अनुदेशकों का संबंध, शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा में सहयोग, शिक्षा की गुणवत्ता इत्यादि कितने ही नए प्रश्न अपना उत्तर पाने के लिए शिक्षाविदों के सामने खड़े हो गए हैं। आगे आने वाले समय में शिक्षा का मुख्य उद्देश्य निर्धारित करने की प्रक्रिया अधिकांश देशों में चल रही है। यूनेस्को ने एक विश्वस्तरीय आयोग बनाकर इसमें चिंतन करवाया है। जैक डिलोर्स की अध्यक्षता में बने इस आयोग ने शिक्षा के चार स्तर – (1) जानने के लिए शिक्षा, (2) कार्य करने के लिए शिक्षा, (3) बनने के लिए शिक्षा, (4) मिलकर रहने के लिए शिक्षा, हैं। अब समृद्धि और सार्वभौमिकता ज्ञान और बुद्धि के द्वारा नियंत्रित और निर्धारित होंगे तथा जो लोग अपने कौशल, क्षमताओं, गुणों और बुद्धि का विकास करने के लिए तत्पर रहेंगे, वही समाज में सम्मानित होंगे। इस पृष्ठभूमि में शिक्षा का सारा परिदृश्य बदलना होगा परंतु इस महत्वपूर्ण प्रयास में कक्षा/शिक्षण/प्रशिक्षण का स्वरूप, विद्यार्थी-अनुदेशक संबंध, शिक्षा की गुणवत्ता, उसकी व्यवस्था, शिक्षा में सहयोग आदि चुनौतियों के रूप में हमारे सामने हैं जिनका निवारण आवश्यक है। आज ऐसी शिक्षा की आवश्यकता है जो देश की जड़ों से जुड़ी हो, जो विकास और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध हो, जिसमें भारतीय विचारधाराओं, अनुभवों व प्रयोगों का समावेश हो। शिक्षा से हमारी आवश्यकताएं और हमारी अपेक्षाएं बढ़ी हैं, अधिकांश देशों में भौतिक रूप से प्राप्त उपलब्धियों को जीवन की गुणवत्ता की ओर जाने में भौतिक उपलब्धियों को जीवन की गुणवत्ता का प्रतीक माना जाता है, भारतवर्ष में बेहतर गुणवत्ता की ओर जाने में भौतिक उपलब्धियों से अधिक आध्यात्मिक उपलब्धियों और समझ को महत्व दिया जाता रहा है। यहां पर बेहतर जीवन के साथ-साथ उच्च आध्यात्मिक स्तरीय जीवन की परिकल्पना की गई है।

आध्यात्मिक चिंतन में हजारों वर्षों से भारत का चिंतन विश्व में सर्वोपरि रहा है और इसको आज ऐतिहासिक स्तर पर स्वीकार किया जाता है। आज सारा विश्व अपने बढ़ते हुए तनावों से त्रस्त भारत की ओर उन समस्याओं के समाधान के लिए देख रहा है जिनके कारण मनुष्य विशेष रूप से विकसित देशों के नागरिक सारी भौतिक सुख सुविधाओं के उपलब्ध होते हुए भी तनाव, चिंता, और निराशा का जीवन जी रहे हैं। उन्हें योग और आध्यात्म के क्षेत्र में भारत ही अग्रणी दिखाई देते हैं। यह दुर्भाग्य है कि पिछली कुछ सदियों से हमने अपने उस ज्ञान, चिंतन, अध्ययन और आध्यात्मिक धरोहर को लगभग भुला दिया है। उससे जो हमारे लगाव होने चाहिए थे, हमारा उन पर आत्मविश्वास पैदा होना चाहिए था, वह सब हमारी विस्मृति में चला गया है। आज योग के संबंध में जब अमेरिका और यूरोप से लोग यहां आते हैं तब हम स्वीकार करते हैं कि पतांजलि ने उस स्तर तक नहीं पहुंच पाए हैं, प्राकृतिक चिकित्सा और प्राकृतिक दवाओं के संबंध में आज कुछ जानकारी देने बाहर के देशों के लोग आ रहे हैं, नीम और हल्दी के पेटेंट्स अमेरिका और जापान में बन रहे हैं। हमारी वर्तमान शिक्षा व्यवस्था 1836 में मैकाले के द्वारा प्रतिपादित, अनूदित और उस व्यवस्था का उदाहरण मैकाले के उद्देश्य और उस समय के शासन तंत्र की आवश्यकताएँ एक दूसरे की पूरक थी। हमने सुदूर यूरोप में चलने वाली व्यवस्था को अपनाया, उसके बहुत से अच्छे तत्वों को छोड़ दिया और वह अपनाया जो इस देश की मिट्टी के लिए उपयुक्त नहीं था, यूरोप के लिए था। लगभग 165 वर्षों में हम बहुत कुछ सीख सकते थे मगर हमने सीखा नहीं। 1917 में महात्मा गांधी ने कहा था कि विदेशी व्यवस्था को अपनाकर हम बहुत कुछ खो रहे हैं और पा कुछ भी नहीं रहे हैं, हमारा अंग्रेजी मोह लगातार बढ़ रहा है।

सारी दुनिया संस्कृत को कम्प्यूटर के तकनीकी दृष्टिकोण से सबसे उपयुक्त भाषा मानती है। परंतु हम संस्कृत के प्रचार प्रसार को अभाव तथा अकथित भय की दृष्टि से देख रहे हैं। भारत की अपनी भूमि में पनपे विचारों और विचारधाराओं के आधार पर गांधी जी ने बेसिक एजुकेशन की स्थापना की, उसकी व्याख्या की और क्रियान्वित कर लोगों के सामने व्यावहारिक रूप में रखा। यह अलग बात है कि स्वतंत्रता

प्राप्ति के पांच दशक बाद भी हमने गांधी जी के उन प्रयत्नो और प्रयासो और नवाचारो को पूरी तरह भुला दिया। गांधी जी ने कई बार मस्तिष्क, हाथ और हृदय इन तीन शब्दो का शिक्षण भी गुणवत्ता के लिए प्रयोग किया। उन्होने यह भी कहा कि शिक्षा एक व्यक्ति के शरीर, मस्तिष्क और आत्मा तीनों के अंदर जो कुछ अच्छा है, उसे सुदृढ़ और परिमार्जित करती है। शिक्षा जो भारत से जुड़ी होगी वह स्वस्थ, स्वच्छ और प्रकृति इन तीनों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित करने की क्षमता रखेगी और व्यक्ति को इस समन्वय को सुदृढ़ बनाने के लिए तैयार करेगी। यदि इन शब्दों पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट है कि शिक्षा व्यक्ति में विनम्रता को जागृत करेगी, उसके अन्दर करुणा, आदर, शान्ति, आत्मविश्वास जैसे गुणों का संचार करेगी। ऐसी ही शिक्षा व्यक्ति को बेहतर और ऊंचे जीवन स्तर की ओर अग्रसर करेगी। यह हृदय के मानवी गुणों को उजागर करने की क्षमता रखेगी।

यहां पर अनुदेशकों की क्षमता, प्रतिबद्धता और कार्य निष्पादन के संबंध में जो कुछ कहा गया है वह असंभव या अप्राप्य नहीं है। यदि अनुदेशक पर विश्वास किया जाए, उसे समुदाय के साथ मिलकर स्कूल की प्रगति तथा बच्चों के संबंध में चिंतन करने और उस क्रियान्वित करने का अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से वह अपने उत्तरदायित्व को पहचानेगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो अंदर से अपने उत्तरदायित्व को पहचानता है, अपनी प्रतिबद्धता में निश्चित रूप से सतत विकास करता रहता है। वह अनुदेशक ही है जो 'कैसे पढ़ाए' प्रश्न का उत्तर ढूंढ सकता है, सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत पढ़ाने की विधि से अनुदेशकों को प्रशिक्षण काल में परिचित कराया जाता है परंतु किसी भी विद्यार्थी के लिए या स्थान विशेष पर शिक्षण विधियों का क्या स्वरूप होगा वह स्थानीय स्तर पर अनुदेशक ही तय कर सकता है। स्थान विशेष पर जुड़े हुए साधन, स्रोत और विशेषज्ञताओं को संजोकर स्कूल, के वातावरण को सुधारने का कार्य भी अनुदेशक ही कर सकता है।

निष्कर्ष

प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए किये गये समस्त प्रयास जो कि इसको सार्थक एवं आकर्षक बनाते हैं, निश्चित रूप से परिवर्तन लायेंगे। विभिन्न शैक्षिक योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु पर्याप्त धनराशि प्रदान करने का मात्र आश्वासन ही न हो अपितु तथा सम्भव धनराशि प्रदान भी की जाये तो प्राथमिक शिक्षा का स्तर काफी ऊँचा उठाया जा सकता है। अन्त में यही कहा जा सकता है कि सम्पूर्ण शिक्षा व्यवस्था की आधार शिला कहलाने वाली प्राथमिक शिक्षा को प्रभावशाली बनाने में नवीन आयामों एवं शासकीय नीतियों की भूमिका सरहानीय है। उपरोक्त समस्त विवरण से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए किया गया प्रयास निश्चित ही बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) के अन्त तक इस लक्ष्य को मूर्त रूप देने में पूर्णतः सहायक सिद्ध होगा। प्राथमिक शिक्षा के समस्त पहलुओं का समग्र विकास करने में परिवर्तित शासकीय नीतियाँ एवं नये आयाम अवश्य ही कारगर सिद्ध होंगे।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

- बॉयर, एस0 टी0. (2009) अर्द्ध विकसित देशों में अर्थशास्त्रीय योजनायें एवं विश्लेषण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय प्रैस।
- कोरे, स्टीफन. एम0 (2015) रिसर्च इन एजुकेशन, नई दिल्ली : नेशनल काउन्सिल ऑफ एजुकेशनल

रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग।

- कॉलहन, आर० एफ०., (2014) एजुकेशन एण्ड द कल्ट ऑफ इन्वैस्टमेंट, शिकागो: सी०.यू०.पी०.।
- दासगुप्ता, आर० के०, (2009) इकॉनॉमिक रिटर्नस दैट मोटिवेट द चॉयस ऑफ टीचर एजुकेशन :पटना : रिपोर्ट ऑफ आई० ए० टी० ई० कॉन्फ्रेंस।
- जितेन्द्र डे, (2015) श्लागत वर्गीकरण योजना शोध प्रबन्ध, अर्थशास्त्र, थर्ड सर्वे ऑफ एजुकेशन, वाल्यूम. 04. संख्या. 06.।
- मुखर्जी. डी.डी. (2012) भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, विनोद पुस्तक मन्दिर, आगरा -2.
- भटनागर. राकेश (2016) आधुनिक भारतीय शिक्षा और उसकी समस्याएँ, आर. लाल.बुक डिपो, मेरठ।
- एन०.सी०.ई०.आर०.टी०., (2014) शिशु शिक्षा केन्द्र एवं उत्तर प्रदेश बेसिक एजुकेशन प्रोजेक्ट इनीशियेटिव इवैल्यूएशन रिपोर्ट, डिपार्टमेंट ऑफ प्रीस्कूल एण्ड एलीमेन्ट्री एजुकेशन।